Volume: 4 Issue: 12 Pages: 137-139

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में सद्चरित्र छात्र की प्रस्थिति व् उसके अधिकार, कर्तव्य का विश्लेषण

[*1] डॉ. आशुतोष राय

[*1] सहायक आचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया, मध्य प्रदेश, भारत

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 15/Nov/2025
Accepted: 21/Dec/2025

***Corresponding Author**
डॉ. आशुतोष राय
सहायक आचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश:
शिक्षा वास्तव में किसी भी समाज के विकास और प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं | शब्द "शिक्षा" संस्कृत 'शिक्ष' से निकला हैं जिसका अर्थ हैं "शिक्षक की शिक्षा" | अर्थात शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसमे ज्ञान, सूचना, और कौशल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता हैं यह मानव जीवन में ज्ञान, संज्ञान, और बुद्धि का विकास करती हैं इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं इसके माध्यम से व्यक्ति में मनोवैज्ञनिक विकास,भावनात्मक समझ, समाजसेवा की भावना, व्यक्तिगत व् आर्थिक उत्थान होता हैं| स्कूल,कॉलेज, विश्वविद्यालय, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम हैं | शिक्षा मानव के लिए न्याय, समानता प्रदान किये जाने का भी माध्यम हैं, यह उसे आत्मनिर्भर बनाती हैं, उसे सही नीतियों, मूल्यों और देश की संस्कृति का ज्ञान प्रदान करती हैं | यह व्यक्ति में उन गुणों का विकास करती हैं जो उसे समाज में सफल बनाता हैं जैसे बुद्धि, सहज, विचारशील, और संगठन क्षमता| इसलिये वर्तमान समय मे छात्र छात्रा के अधिकार व् उनके कर्तव्य जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता हैं जिससे इस लेख के माध्यम से कुछ हद तक जागरूकता फैलाई जा सके|

मुख्य शब्द: शिक्षा, समानता, मनोवैज्ञनिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, साहित्यिक, और सामाजिक, ज्ञानार्जन, आर्थिक स्वालम्बी, इत्यादि |

प्रस्तावना:

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. ज्ञानार्जन

शिक्षा द्वारा व्यक्ति में विभिन्न विषयों का ज्ञान होता हैं वह हमारे अंदर किसी विषय के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक, सोच को विकसित करती हैं साथ ही साथ यह किसी भी विषय को गहराई से पढने और उसका विश्लेषण कर समाज को लाभ देने व् उसकी आलोचना कर सरकार को उसकी खामिया दिखाना जिससे सरकार उन कमियों को दूर कर समाज को लाभान्वित किया जा सके | यह हमारे जीवन में मनोवैज्ञनिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, साहित्यिक, और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं | शिक्षा हमें स्वयं सजने व् दूसरों को सजाने की क्षमता प्रदान करती हैं | शिक्षित व्यक्ति अपना रोजगार स्वयं खोज लेता हैं यदि वह समाज के लिए कुछ करना चाहता हैं | ज्ञान प्राप्त व्यक्ति सदैव समाज व् दूसरों को लाभ देने वाला होता हैं |

2. व्यक्तित्व विकास

शिक्षा का एक अहम उद्देश्य यह भी हैं कि वह शिक्षित व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास करती हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए अत्यंत आवश्यक हैं | व्यक्तित्व विकास में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता हैं वह अपने समाज, राष्ट्र के प्रति आदर भाव रखता हैं अपने देश के कानून का सम्मान करता हैं और नियमों का स्वयं पालन करता हैं और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करता हैं अर्थात वह एक सभ्य नागरिक का परिचय देता हैं |

3. समाज सेवा

शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य समाज की सेवा करना भी हैं | जिस समाज में शिक्षित व्यक्ति रहता हैं उसका एक नैतिक दायित्व भी होता हैं कि उसके समाज में कोई सामाजिक कुरीति, असहाय व्यक्ति, यदि हैं तो उसकी सहायता की जा सके | वर्तमान में ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं कार्यरत हैं जहाँ यदि ऐसे असहाय व्यक्ति को पंहुचा दिया जाता हैं तो वह संस्थान स्वयं उस व्यक्ति की मदद करते हैं |

4. आर्थिक स्वालंबन
शिक्षा सैदव शिक्षित व्यक्ति आर्थिक स्वालंब प्रदान करती हैं | प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति यदि वह एक सद्चरित्र छात्र छात्रा रहा हैं और वह अपने समाज देश के लिए कुछ करना चाहता हैं तो वह रोजगार स्वयं खोज लेता हैं और अपने परिवार समाज देश को आर्थिक स्वालंब प्रदान करता हैं | बशर्ते वह सद्चारित्र छात्र छात्रा रहा हों |

5. संस्कृति का प्रचार
शिक्षा का एक अहम लक्ष्य यह भी कि वह देश, समाज की संस्कृति को अपने माध्यम से छात्र छात्राओं को परिचित कराये जिससे लोग उसे जाने और समझे | क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती हैं उसकी अपनी विशेषता होती हैं और उसे संजोय के रखने का कार्य शिक्षा अपने विधार्थी के माध्यम से कराती हैं पर यह भी एक सद्चारित्र छात्र छात्रा से अपेक्षा की जाती हैं |

अनुशासित छात्र छात्रा के लक्षण
प्रत्येक अनुशासित छात्र छात्रा जो किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत हैं उनसे परिवार, समाज व् राष्ट्र यह अपेक्षा करता हैं कि उनमे निम्नलिखित गुण हों | अर्थात उनके क्या कर्तव्य हैं-

1. ईमानदार
प्रत्येक अनुशासित छात्र छात्रा से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह अपने कार्यों के प्रति ईमानदार हों अर्थात एक सद्चरित्र छात्र पढने और शैक्षिक संस्थान द्वारा दिए गए होम वर्क और कराये गए अन्य गतिविधि में अपना पूर्णतया ईमानदारी से सहयोग करे | अपना और अपने शैक्षिक संस्थान का नाम पुरे समाज, राष्ट्र में रोशन करे | बिना किसी अहं के अपनी कमजोरी को बिना छुपाये अपना अध्ययन करना चाहिए और दूसरों की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करे |

2. सत्यनिष्ठ
प्रत्येक अनुशासित छात्र छात्रा से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह अपने कार्यों के प्रति सत्यनिष्ठ हों अर्थात वह अपने व्यक्तिगत (व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, किसी दबाव से परे एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता हैं) और व्यावसायिक (एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव पारदर्शी एवं जिम्मेदारीपूर्वक सम्बन्धित व्यवसाय से जुडी नैतिक संहिता का पालन करते हुए अपना कार्य करता हैं) जीवन में नैतिक सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से खड़ा हों चाहे परिस्थति कुछ भी हों |

3. समयबद्धता
प्रत्येक अनुशासित छात्र छात्रा से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह अपने कार्यों में समयबद्धता का अनुपालन करे अर्थात वह शैक्षिक संस्थान द्वारा दिए गए| सभी कार्य को जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट को निर्धारित समयावधि में कर देना चाहिए | इसका लाभ ऐसे छात्र छात्रों को अपने आगामी कैरियर में मिलता हैं |

4. उपस्थिति
प्रत्येक अनुशासित छात्र छात्रा से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह अपने अध्यापक/प्राध्यापक द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक कक्षा में निरन्तर उपस्थित हों और अध्ययन व् ज्ञानार्जन का कार्य करे |

5. अपेक्षित आचारण
प्रत्येक छात्र छात्रा से यह आपेक्षा की जाती हैं कि वह अपने से बड़े सभी लोगों का सम्मान करे चाहे वह बड़े छात्र छात्रा हों या उनके गुरु हों या छोटे छात्र छात्रा जिसे आज हम जूनियर सीनियर के नाम से जानते हैं | यदि सम्मान की भावना आ जाए तो अनेक शैक्षणिक संस्थानों में रैंगिंग जैसी गतिविधि ही संचालित नहीं होगी | और नियामक संस्थाओं द्वारा जारी तमाम आदेश बेकार हो जायेंगे | शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा से यह अपेक्षा की जाती कि वह संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड, में ही अध्ययन करने आये इससे संस्थान व् छात्र छात्रा दोनों की गरिमा समाज में बढती हैं पर वर्तमान समय में छात्र छात्रा ड्रेस पहन कर आने को अपनी तौहीन मानते हैं | उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अपनी बातों को शैक्षणिक प्रबंधन से मनवाने के लिए अपने ही शैक्षणिक संस्था की सम्पति को नष्ट करते हैं | और फिर इससे उत्पन्न समस्याओं से खुद जूझते हैं |

प्रतिषेधित कार्य और पदार्थ
छात्रों को प्रतिबंधित कार्यों में स्कूलों में झगड़ा करना, नशीली दवाओं का सेवन करना या शराब का सेवन करना स्कूल की सम्पति को नुकसान पंहुचाना, शिक्षकों या अन्य छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी, अश्लीलता, झूठ बोलना,और वर्तमान समय में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट शामिल हैं | इसके अलवा धमकी देना, उत्पीडन,और अनैतिक आचारण जैसे कार्य भी वर्जित हैं जो छात्राओं को अकादमिक और व्यक्तिगत विकास को बाधित करते हैं |अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अनधिकृत प्रवेश से बचना चाहिए | पर वर्तमान समय यह सब बहुत ही कम देखने को मिलता हैं लगभग 80% छात्र छात्रा यही कार्य कर रहे हैं नशा, गुंडागिरी इत्यादि का अड्डा बन रहे हैं शैक्षणिक संस्थान | प्रोफेसर छात्र छात्रा के आंतक से इतना डरे हैं कि वह कुछ भी बोले प्रोफेसर कुछ नहीं करते |

छात्र छात्रा के अधिकार

1. अध्ययन का अधिकार
प्रत्येक अध्ययनरत छात्र छात्रा चाहे वह किसी भी शैक्षणिक संस्था में हों उसका यह मूल अधिकार हैं कि वह जिस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं उसका अध्ययन उससे सम्बन्धित शिक्षक द्वारा क्लास लिया जाए और यदि शिक्षक क्लास लेने से मना करे तो इसकी शिकायत सक्षम अधिकारी को करे | अध्ययनरत छात्र छात्रों को शिक्षक द्वारा लिए गए क्लास का गंभीरता से अध्ययन कर उससे उपजे सवालों का जवाब भी स्वयं या शिक्षक के माध्यम से ढूढना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में कोई छात्र शायद ही इस अधिकार का प्रयोग करता हों | हर कोई पढने से बचना चाहते हैं इसलिए वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं |

2. सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का अधिकार
प्रत्येक अध्ययनरत छात्र छात्रा का यह अधिकार हैं कि वह प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रहे | अर्थात शैक्षणिक संस्था की यह जिम्मेदारी हैं कि वह प्रत्येक छात्र छात्रा को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण माहौल प्रदान करे जिससे छात्र छात्रा स्वस्थचित होकर निर्विघ्न अपना अध्ययन कर सके और देश समाज में अमूल्य योगदान दे सके | इसलिए कई शैक्षिणक मानक निर्धारित करने वाली संस्थाओं या राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करना अनिवार्य कर दिया गया हैं | वर्तमान में उमंग जैसे योजना को लाकर इस अधिकार को और अधिक पोषित किया जा रहा हैं | आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया हैं और साथ ही साथ राज्य व् जिले स्तर पर भी ऐसी ही टास्क फ़ोर्स का गठन कर आत्महत्या जैसे घटनाओं पर विचार विमर्श करना और नियंत्रण करने के उपाय करना शामिल हैं |

3. निष्पक्षता का अधिकार
प्रत्येक अध्ययनरत छात्र छात्रा का यह अधिकार हैं कि उसके साथ शिक्षण संस्था द्वारा पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करे | अर्थात उसे

बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, सम्मानजनक व्यवहार और न्यायपूर्ण प्रक्रिया मिले, जिसमें स्वंत्रत और निष्पक्ष सुनवाई, सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भेदभाव रहित प्रवेश शामिल हैं | यह अधिकार छात्रों को मानसिक उत्पीडन, अनुचित सजा और पक्षपात से बचाता हैं और उन्हें सीखने के लिए एक समान और न्यायसंगत अवसर देता हैं जो शिक्षा के मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देता हैं | इस अधिकार को मजबूती प्रदान करने के लिए यू.जी.सी.ने प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell) गठन करने का निर्देश दिया हैं | जिसका कार्य शिक्षा संस्थान में लिंग, जाति विकलांगता ता सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे किसी भी भेदभाव के बिना सभी छात्रों शिक्षकों और कर्मचारी को समान अवसर और निष्पक्ष व्यवहार सुनश्चित करने के लिए काम करता हैं | यह विविधता और समावेशन को बढावा देता हैं और कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृति, सहायता और शिकायत का निवारण प्रदान करता हैं |

4. निजता का अधिकार

छात्रों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने और शैक्षणिक सेटिंग में गोपनीयता बनाये रखने का अधिकार हैं | यह छात्रों के व्यक्तिगत डाटा, शैक्षणिक रिकॉर्ड और संचार की सुरक्षा करता हैं | जो एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देता हैं जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उनके सम्मान बना रहे | छात्रों को अपने लॉकर, बैग और निजी समान की तलाशी से सुरक्षा का अधिकार हैं उनके मेल, फ़ोन काल और पत्राचार की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए | अत्यावश्यक दशाओं को छोड़कर उनकी उक्त गोपनीयता को बनाये रखना चाहिए |

5. शिकायत निवारण का अधिकार

यदि छात्र अपने किसी अधिकार से वंचित होता हैं तो प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में छात्र शिकायत निवारण समिति का यू.जी.सी.के विनियम, 2023 के तहत गठन करने का प्रावधान किया गया हैं | जिसका कार्य छात्रों को अपनी समस्याओं और चिन्ताओं को एक पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से उठाने और उनका समाधान पाने का कानूनी अधिकार हैं | इसके माध्यम से शैक्षणिक,(पाठ्यक्रम, परीक्षा, परिणाम) अनुशासनिक, (बदमाशी,भेदभाव) उत्पीडन, और बुनियादी सुविधाओं (जैसे पानी, बिजली,स्वच्छता) प्रशासनिक मुद्दे से जुडी शिकायतों का निवारण हो सके |

निष्कर्ष:

इस प्रकार शिक्षा का महत्व और उसके उद्देश्य से अवगत होते हुए प्रत्येक छात्र छात्रा अपने कर्तव्य व् अधिकार को जाने और समाज से ओझिल होती गुरु शिष्य परम्परा को बचाया जा सके | हमें नई पद्धति को स्वीकार करना हैं पर अपने शैक्षिक व् परम्परागत विरासतों को भी बनाये रखना हैं यह हमारे नयी पीढ़ी के छात्र छात्राओं को समझना होगा और इसे गंभीरता से अपने माध्यम से लागू करना होगा |

सन्दर्भ सूची:

1. https://testbook.com/articles-in-hindi.
2. https://www.google.com/search?sgrc.
3. https://www.google.com/search?eqc.
4. https://www.google.com/search?right to privacy of student.
5. https://www.google.com/search?studentright.
6. https://www.google.com/search?dutiesofstudent.